CHRI 2019

महाराष्ट्र राज्य पुलिस तक्रार प्राधिकरण

उपयोक्ता गाइड

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative
working for the practical realisation of human rights in the countries of the Commonwealth

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) एक स्वतंत्र, गैर–पक्षपातपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन है, जो राष्ट्रमंडल के देशों में मानवाधिकारों के व्यावहारिक रूप से हासिल करने के लिए कार्यरत है। 1987 में, कई राष्ट्रमंडल पेशेवर संगठनों ने सीएचआरआई की स्थापना की। उनका मानना था कि यद्यपि राष्ट्रमंडल ने सदस्य देशों को काम करने के लिए निर्धारित मूल्यों और कानूनी सिद्धांतों का एक साझा सेट और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया था, किन्तु राष्ट्रमंडल देशों में ही मानवाधिकारों के मुद्दों पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा था।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) का उद्देश्य है कि राष्ट्रमंडल सिद्धांतों, मानवाधिकारों की सार्वभौ. मिक घोषणा और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार साधनों के साथ–साथ राष्ट्रमंडल सदस्य देशों में मानवाधिकारों का समर्थन करने वाले घरेलू साधनों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है और उसका अनुपालन करना है।

सीएचआरआई अपनी रिपोर्ट और आवधिक जांच के माध्यम से राष्ट्रमंडल देशों में मानव अधिकारों की प्रगति और असफलता पर निरन्तर ध्यान केंद्रित करता है। सीएचआरआई राष्ट्रमंडल सचिवालय, सदस्य सरकारों और नागरिक समाज सांगठनों को मानव अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के रास्ते और उपायों के बारे में बताता है। सीएचआरआई की अवधारणा अपने सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों, नीतिगत संवाद, तुलनात्मक शोध, वकालत और नेटवर्किंग के माध्यम से सदैव अपने प्राथमिक मुद्दों के लिए एक मुख्य पात्र के रूप में कार्य करता रहा है।

सीएचआरआई नई दिल्ली, भारत में स्थित है, और इसके लंदन, ब्रिटेन और अक्रा, घाना में कार्यालय हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार आयोग: एलिसन डक्सबरी– अध्यक्ष, सदस्यः वजाहत हबिबुल्लाह, एडवर्ड मोर्टिमर, सैम ओकउड़जेतु और संजोय हजारिका (निदेशक)।

कार्यकारिणी समिति (भारत): वजाहत हबीबुल्लाह– अध्यक्ष, सदस्यः बी के चंद्रशेखर, जयंतो चौधरी, नितिन देसाई, कमल कुमार, मदन बी. लोकूर, पूनम मुटरेजा, जैकब पुन्नूज, ए पी शाह, विनीता राय, निधि राज़दान, माजा दारुवाला (वरिष्ठ सलाहकार) और संजोय हज़ारिका (निदेशक)।

कार्यकारिणी समिति (घाना): सैम ओकउड़जेतु– अध्यक्ष, सदस्यः आकोटो आमपाव, यशपाल घई, वजाहत हबिबुल्लाह, कोफ़ी क्वाशिगाह, जूलियट टुआकली और संजोय हज़ारिका।

कार्यकारिणी समिति (यू के): जोआना एडवर्ड जेम्स– कार्यवाहक अध्यक्ष, सदस्यः रिचर्ड बॉर्न, प्रलाब बरूआ, टोनी फोरमैन, नेविल लिंटन, सुजैन लाम्बर्ट और संजोय हज़ारिका।

अंतर्राष्ट्रीय निदेशकः संजोय हज़ारिका।

आई.एस.बी.एनः 978.93.81241.71.4

©कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनीशिएटिव 2019। स्रोत को विधिवत स्वीकार करते हुए इस रिपोर्ट की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।

सीएचआरआई मुख्यालय, नई दिल्ली
55ए, तीसरा माला,
सिद्धार्थ चैम्बर्स
कालू सराय, नई दिल्ली 110016
भारत
टेलफोनः +91 11 4318 0200
फैक्सः +91 11 4318 0217
ई–मेलः
info@humanrightsinitiative.org

सीएचआरआई लंदन
रूम न0 219
स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडी,
साउथ ब्लाक, सिनेट हाउस
मालेट स्ट्रीट, लंदन WC1E 7HU
यूनाइटेड किंगडम
ई–मेल
london@humanrightsinitiative.org

सीएचआरआई अक्रा
हाउस न0 9, समोरा मैकल स्ट्रीट,
असाइलम डाउन,
बीवरली हिल्स होटल के सामने
ट्रस्ट टावर के पास, अक्रा, घाना
टेली0 / फैक्सः +233 302 971170
ई–मेलः
chriafrica@humanrightsinitiative.org

www.humanrightsinitiative.org

महाराष्ट्र राज्य पुलिस तक्रार प्राधिकरण

उपयोक्ता गाइड

द्वारा लिखित
पावनी नागराज भट

द्वारा सम्पादित
देविका प्रसाद और ऋचा उदायना

सीएचआरआई उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने उपयोक्ता गाइड का मसौदा तैयार करने में योगदान दिया।

अपनी बहुमूल्य समीक्षा और प्रतिपुष्टि के लिए आइलीन मार्केस, अंजू अन्ना जॉन, डाल्फी डिसोज़ा और ऋचा उदायना को विशेष धन्यवाद। हम मराठी अनुवाद के लिए आनंद महाजन और हिंदी अनुवाद के लिए मसीहुद्दीन संजरी सच्चे मन से कृतज्ञ हैं।

गाईड की रूपरेखा तैयार करने के लिए गुरनाम सिंह और प्रशासनिक सहायता के लिए संगीता मुखर्जी को हमारा धन्यवाद।

विषय सूची तालिका

परिचय	1
शिकायतों की प्रक्रिया	5
निर्णय और अंतिम आदेश	12
पारदर्शिता और रिपोर्टिंग	16
अनुबंध I प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ मामले में पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश	20
अनुबंध II पुलिस पदो ंके स्वरूप	21
अनुबंध III राज्य/मंडल स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायत नमूना फार्म	23
अनुबंध IV स्व प्रमाणित घोषणा	27
अनुबंध V क्रियाशील पीसीए के पते	28

परिचय

महाराष्ट्र ने 2014 में पुलिस तक्रार प्राधिकरण (पीसीए) की स्थापना की। यह जनता द्वारा पुलिस कर्मियों के खिलाफ की गई गंभीर दुराचार, भ्रष्टाचार और अधिकारों के दुरुपयोग जैसे आरोपों की शिकायतों की जांच करने का स्वतंत्र निकाय है। ये कई स्तर पर बनाए गए हैः महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर एक पीसीए[1] है और मंडल स्तर[2] पर नासिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, अमरावती और कोंकण में छः पीसीए हैं।

मंडल पीसीए के अंतर्गत प्रत्येक जिला क्षेत्र निम्न हैं:[3]

नागपुर मंडल	नासिक मंडल	पुणे मंडल	औरंगाबाद मंडल	अमरावती मंडल	कोंकण मंडल
नागपुर चंद्रपुर वरधा भांदरा गोंडिया	नासिक धुले जलगांव अहमदनगर नंदुरबार	पुणे सतारा सांगली शोलापुर कोल्हापुर	औरंगाबाद जालना लातूर नांदेड़ उसमानाबाद हिंगोली बीड	अमरावती आकोला वाषिम बुलधाना यवतमाल	मुम्बई मुम्बई उपनगरीय क्षेत्र पालघर रायगढ़ थाणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग

मार्च 2019 तक मुम्बई में राज्य स्तरीय और पुणे, और नासिक में मंडल स्तरीय पीसीए काम कर रहे हैं।

राज्य पुलिस अधिनियम में संशोधन करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन और निरंतरता) अधिनियम 2014 के माध्यम से पीसीए अस्तित्व में आए।

पीसीए का मकसद पुलिस के ऊपर मज़बूत जवाबदेही निकायों के बतौर काम करना हैं। ये बात महत्वपूर्ण है कि जनता अपने अधिकार और शक्तियों को जानती है। पीसीए का प्रयोग कर के हम उन्हें पुलिस के जवाबदेही निकाय के बतौर अपनी भूमिका निभाने का दबाव बना सकते हैं।

यह गाइड विस्तार से बताती है कि पीएसी क्या करती हैं, कैसे करती हैं, किस तरह की शिकायतें आप उनसे कर सकते हैं, शिकायतें करने की प्रक्रिया क्या है, शिकायतकर्ता और गवाह के अधिकार क्या हैं, और किस तरह की राहत की उम्मीद उनसे कर सकते हैं।

1 धारा 22P महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन एंव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

2 धारा 22S महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन एंव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

3 धारा 22Q और 22S महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन एंव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

पीसीए क्या कर सकते हैं?

वे पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त कर सकते हैं, उनकी वास्तविकता जानने का प्रयास कर सकते हैं और पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए दूसरे कदम उठा सकते हैं। राज्य और मंडलीय पीसीए को निम्नलिखित शक्तियां[4] प्राप्त हैं:

- शिकायतों की जांच करने, सभी सम्बंधित पक्षों को सुनने, सबूत हासिल करने और पुलिस विभाग व राज्य सरकार द्वारा उन्हें अमल में लाने के लिए सिफारिशें करना।
- राज्य सरकार को गवाहों, पीड़ितों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह देना जिनको पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए धमकियों या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या सामना करना पड़ सकता है।
- पुलिस द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पुलिस स्टेशन, लॉक अप या हिरासत की अन्य जगहों का दौरा करना। पीसीए का कोई भी सदस्य, अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किए जाने पर ऐसे दौरे कर सकता है।

पीसीए पर कौन बैठता है?

पीसीए पूर्णकालिक काम करते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल तीन साल[5] का होता है। इसके अध्यक्षों के लिए कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है।

राज्य पीसीए निम्नलिखित[6] से मिलकर बनता है।

क0स0	योग्यता	पद
1	हाईकोर्ट का एक सेवानिवृत्त न्यायधीश	अध्यक्ष
2	एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जो कम से कम विशेष पुलिस महानिरीक्षक स्तर का हो।	सदस्य
3	राज्य सरकार या उससे ऊपर का सचिव स्तर का एक सेवानिवृत्त अधिकारी	सदस्य
4	नागरिक समाज का कोई प्रमुख व्यक्ति	सदस्य
5	एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक से नीचे के पद का न हो	सदस्य–सचिव

4 धारा 22Q (3) महाराष्ट्र पुलिस (संषोधन एंव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

5 धारा 22Q (3) महाराष्ट्र पुलिस (संषोधन एंव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

6 धारा 22P महाराष्ट्र पुलिस (संषोधन एंव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

मंडल स्तर के पीसीए में निम्न[7] व्यक्ति शामिल होते हैं।

क्र0स0	योग्यता	पद
1	एक सेवानिवृत्त प्रधान जिला जज	अध्यक्ष
2	एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के स्तर से नीचे का न हो।	सदस्य
3	उप पुलिस आयुक्त (मुख्यालय)	सदस्य
4	नागरिक समाज का कोई प्रमुख सदस्य	सदस्य
5	पुलिस उपाधीक्षक या समकक्ष स्तर का पुलिस अधिकारी	सदस्य–सचिव

आप किस सम्बंध में शिकायत कर सकते हैं?

राज्य और मंडल पीसीए इस तरह की शिकायतें[8] ले सकता है।

1. पुलिस हिरासत में मौत
2. गंभीर चोट (भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 320 के अंतर्गत)
3. बलात्कार या बलात्कार का प्रयास
4. निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिरफ्तारी या नज़रबंदी
5. भ्रष्टाचार
6. जबरन धन उगाही
7. ज़मीन या मकान पर कब्ज़ा
8. ***कानून का कोई अन्य गंभीर उल्लंघन या कानूनी अधिकार का दुरूपयोग***

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 320 के अनुसार ''कष्टदायक चोट'' में शामिल हैः

- बधियाकरण (नपुंसक बना देना)
- दोनों में से किसी आंख की रोशनी को स्थाई नुकसान पहुंचाना
- दोनों में से किसी कान की सुनने की क्षमता को स्थाई नुकसान पहुंचाना
- शरीर के किसी अंग की हानि
- शरीर के किसी अंग के प्रयोग की स्थाई हानि
- सिर या चेहरे को स्थाई नुकसान पहुंचाना
- हड्डी या दांत टूट गया हो
- चोट जो जीवन के लिए खतरा बन सकती हो या जिसकी वजह से आपको बीस दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़े और आपके दैनिक कार्य को बाधित करती हो।

7 धारा 22S महाराष्ट्र पुलिस (संषोधन एंव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

8 धारा 22Q(1) महाराष्ट्र पुलिस (संषोधन एंव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

मुझे किस पीसीए में शिकायत दर्ज करनी चाहिए?

यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्तर के पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत करा रहे हैं। राज्य पीसीए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त कर सकता है जबकि मंडलीय पीसीए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक स्तर तक के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत ले सकता है।

इनके खिलाफ शिकायत	पीसीए
पुलिस उपाधीक्षक या सहायक आयुक्त और उससे ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ[8]	राज्य पीसीए
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के स्तर तक के पुलिस कर्मी[9]	मंडल पीसीए

मिसाल के तौर पर, अगर आपको सांगली (जो पुणे मंडल में पड़ता है) के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करनी है तो आपको अपनी शिकायत राज्य पीसीए मुंबई में भेजनी चाहिए।

या, अगर मुंबई पुलिस के साकी नाका पुलिस स्टेशन में नियुक्त पुलिस उप निरीक्षक के खिलाफ यातना देने की शिकायत है तो आपको अपनी शिकायत कोंकण मंडल पीसीए भेजनी होगी।

संदर्भ हेतु, पुलिस पद संरचना अनुबंध II में दी गई है।

शिकायत कौन दर्ज कर सकता है?

पीसीए खुद से (सुओ मोटो) पुलिस के खिलाफ शिकायत कर सकती है[11]

यह निम्न लोगों से भी शिकायत प्राप्त कर सकती है:[12]

1. पुलिस दुराचार या दुर्व्यहार का शिकार
2. पीड़ित के परिवार का सदस्य
3. पीड़ित की तरफ से कोई भी (इस मामले में, एक शपथ पत्र होना चाहिए जो दूसरे व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने की अनुमति की सहमति दर्शाता हो)
4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
5. राज्य मानवाधिकार आयोग
6. स्वंय पुलिस

9 नियम 3(3), महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम 2016।

10 नियम 3(3), महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम 2017।

11 धारा 22Q और 22S महाराष्ट्र पुलिस (संषोधन एंव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

12 धारा 22Q और 22S महाराष्ट्र पुलिस (संषोधन एंव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

शिकायतों की प्रक्रिया

क्या कोई समय सीमा है जिसके अंदर मुझे शिकायत दर्ज करना है?

हां। जिस घटना के बारे में आप शिकायत कर रहे हैं उस घटना से एक साल के अंदर शिकायत दर्ज करानी होगी[13] मिसाल के तौर पर, अगर घटना 30 नवम्बर 2018 को घटित हुई है तो आपको अवश्य ही 29 नवम्बर 2019 से पहले शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

मैं पीसीए में कैसे शिकायत दर्ज कराऊं?

महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य पीसीए और मंडल पीसीए के लिए प्रकाशित नियमों में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक प्रारूप का प्रावधान किया गया है[14] उसी आधार पर, मार्गदर्शन के लिए अनुच्छेद III के रूप में शिकायत प्रारूप का एक नमूना दिया गया है।

शिकायत लिखित रूप में की जानी है। कोई भी व्यक्ति स्वंय शिकायत दर्ज करा सकता है। आपको पीसीए से शिकायत करने के लिए किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। आपको शिकायत जमा करने के लिए किसी शुल्क का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। शिकायत व्यक्तिगत रूप से, डाक, कूरियर, ईमेल या ऑनलाइन डिजिटल प्रारूप से अपने हाथ से की जा सकती है।

नोटः पीसीए नियम ऑन लाइन प्रारूप को शिकायत जमा करने के माध्यम के बतौर उल्लेख करते हैं। पर मार्च 2019 तक इसने काम करना शुरू नहीं किया है।

1. शिकायत सादे कागज़ पर या ऑन लाइन डिजिटल प्रारूप पर लिखी जानी चाहिए।
2. बेहतर यह है कि इसे मराठी, हिंदी या अंग्रेज़ी में लिखा जाना चाहिए।
3. जहां तक संभव हो इसमें निश्चित विवरण शामिल होने चाहिए।
4. इसमें शामिल होना चाहिएः
    a. आपका नाम
    b. आपका पता
    c. आपके सम्पर्क का विवरण (जैसे फोन नम्बर और उपलब्ध हो तो ईमेल का पता)
5. आपको बताने की आवश्यकता है
    a. घटना क्या थी।
    b. घटना की तारीख
    c. घटना स्थल

13 नियम 4, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016; नियम 4, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017।

14 नियम 6, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016; नियम 6, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017।

d. अगर घटना पुलिस स्टेशन में हुई तो पुलिस स्टेशन का नाम

e. अगर आपको जानकारी है तो उस पुलिस कर्मी का नाम और पद जिसने चोट या नुकसान पहुंचाया। आपको उसमें शामिल कुल पुलिस वालों की संख्या भी बतानी चाहिए।

f. क्या कहा या किया गया था।

g. क्या घटना के कोई गवाह थे।

h. अगर कोई गवाह हों तो उसके सम्पर्क का विवरण

i. कोई चोट हों तो उसके विवरण

j. घटना के बाद आपने जो कदम उठाए

k. अगर सम्पत्ति का नुकसान हुआ हो तो उसका विवरण

6. आप शिकायत को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की छायाप्रतियां या लिखित विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

a. यदि कोई चोट हो तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट या उसका विवरण कर किसी योग्य डाक्टर द्वारा जारी किया प्रमाणपत्र। जहां तक सम्भव हो सके घटना के बाद जल्द से जल्द चिकित्सीय जांच कराई जानी चाहिए।

पीसीए नियम कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट या प्रमाणपत्र ''योग्य'' डॉक्टर द्वारा जारी किया गया होना आवश्यक है।[15] *इसका मतलब है कि आप मेडिकल रिपोर्ट किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी या प्राइवेट डॉक्टर से प्राप्त कर सकते हैं। लकिन आपको सलाह दी जाती है कि जहां तक संभव हो मेडिकल रिपोर्ट/प्रमाणपत्र किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त की जाए क्योंकि वे उसे उस प्रारूप में जारी करेंगे जिससे पीसीए परिचित होगा। प्राइवेट डॉक्टर से प्राप्त रिपोर्ट/प्रमाणपत्र को पीसीए संभवतः आगे सत्यापन के लिए भेजेगा जिससे आपकी जांच में और समय लगेगा।*

b. चोट या नुकसान के फोटो

c. घटना से सम्बंधित ऑडियो या वीडियो रिकार्डिंग

d. पुलिस या दूसरे किसी अधिकारी (जैसे वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारी) के पास पूर्व में दर्ज किसी शिकायत की प्रति या प्रमाण

e. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रति

f. गिरफ्तारी के ज्ञापन की प्रति

g. पुलिस स्टेशन में डायरी प्रविष्ट का प्रामण

h. शिकायत से सम्बंधित कोई अन्य सबूत

15 नियम 6(5)(a), महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016; नियम 6(5)(a), महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017।

नोटः अगर आपके पास समर्थन में दस्तावेज़ नहीं हैं तो पीसीए आपकी शिकायत को अस्वीकार नहीं कर सकता। नियम कहते हैं अगर आप ''चाहें और जहां तक संभव हो'' आप उन्हें दे सकते हैं।[16]

7. आपको खुद से सत्यापित घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है यह कहते हुए कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार शिकायत में उल्लिखित विवरण सही और दुरूस्त हैं (नमूना शपथपत्र संलग्न है)।

आप जिस तरीके से भी अपनी शिकायत जमा करते हैं, जमा की गई शिकायत और दस्तावेज़ों की एक प्रति आप अपने पास रखना सुनिश्चत करें। रिकार्ड के लिए आप रसीद भी अवश्य रखें। अगर आप रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजते हैं तो रजिस्टर्ड डाक पावती का प्रयोग करें जो सबूत दे सकता है कि पीसीए ने आपकी शिकायत प्राप्त की है।

सुझावः पीसीए के अधिकार में ***''कानून के किसी अन्य गंभीर उल्लंघन या कानूनी अधिकार का दुरूपयोग''*** शामिल है। अगर आपकी शिकायत इस वर्ग के अंतर्गत आती है, अगर आप सम्बंधित कानूनी प्रावधानों का नाम बता सकते हैं जिसका आपकी समझ से उल्लंघन हुआ है तो यह आपकी शिकायत को मज़बूत करेगा। यह अनिवार्य नहीं है लेकिन इससे सहायता मिल सकती है।

मेरी शिकायत दर्ज होने के बाद पीसीए क्या कदम उठाएगा?

पीसीए पहले शिकायत की जांच करेगा यह तय करने के लिए कि क्या निम्नलिखित नियमों के अनुसार जांच के लिए यह उसे स्वीकार कर सकता है:[17]

शिकायत पंजीकृत करने के सात दिनों के अंदर पीसीए के सदस्य–सचिव (या कोई नामित अधिकारी) को शिकायत को पीसीए के समक्ष अवश्य रखना चाहिए।

↓

इस स्तर पर पीसीए आपकी शिकायत को अस्वीकार कर सकता है अगरः

- शिकायत की प्रकृति पीसीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है।
- प्रथम दृष्ट्या शिकायत का कोई मामला नहीं बनता है– मतलब कि शिकायत का अध्ययन करने के बाद पीसीए किसी दुराचार या अपराध का सबूत पाने में नाकाम रहता है।
- पीसीए नियमों में सूचीबद्ध किन्हीं शर्तों के कारण (विवरण निम्न में है)

↓

अगर पीसीए आपकी शिकायत को अस्वीकार करता है तो उन्हें आपको 15 दिनों के भीतर लिखित में कारण बताना चाहिए।

16 नियम 6(5), महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016; नियम 6(5), महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017।

17 नियम 6, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016; नियम 6, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017।

पहले चरण में शिकायत को खारिज करने के अतरिक्त कारण

ऊपर दिए गए कारणों के अलावा पीसीए आपकी शिकायत को खारिज कर सकता है अगर:[18]

1. शिकायत अस्पष्ट (पर्यापत तथ्य या विवरण नहीं देती है), गुमनाम (यह किसी के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है),छद्मनामी (गलत नाम से हस्ताक्षरित है), अपठनीय (इसे पढ़ा नहीं जा सकता) घटिया या तुच्छ (यह अगंभीर और अवास्तविक है); या
2. शिकायत कथित कृत्य/निश्क्रियता के पेश आने के एक साल के बाद प्रस्तुत की जाती है; या
3. विवाद नागरिक प्रकृति का है (ज़मीन/मकान हड़पने की शिकायतें इस नियम के अपवाद है और पीसीए द्वारा उठाए जाएंगे); या
4. शिकायत सेवा मामलों, श्रमिक या औद्योगिक विवादों से सम्बंधित है; या
5. मामला किसी अदालत ट्रीब्युनल द्वारा (विचाराधीन) है **(इसका मतलब यह कि अगर आप ने किसी अदालत में या राज्य मानवाधिकार आयोग या महिला आयोग जैसे किसी आयोग शिकायत दर्ज कराई है तो पीसीए आपकी शिकायत को स्वीकार नहीं करेगा);** या
6. अगर मामला किसी न्यायिक प्राधीकरण या किसी अन्य न्यायिक/अर्ध न्यायिक अधिकारी के निर्णय या फैसले से सुरक्षित है; या
7. मामला उस पीसीए से अधिकार क्षेत्र से बाहर है जिसमें आपने शिकायत दर्ज की है। मिसाल के तौर पर, अगर आप मंडलीय पीसीए में पुलिस अधीक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं; या
8. शिकायत वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारी से नहीं की गई, या वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारी के पास शिकायत दर्ज किए हुए अभी एक महीना नहीं बीता था।

नोटः पीसीए नियमों के अनुसार अनिवार्य है कि जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं पीसीए में शिकायत दर्ज करने से पहले उस पुलिस अधिकारी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारी से शिकायत करें।[19] इससे पहले कि आप पीसीए में शिकायत कर सकें, इसे पर्यवेक्षक अधिकारी की प्रतिकिया के लिए भेजने के बाद एक महीना इंतेज़ार करना पड़ सकता है। अपनी पीसीए शिकायत के साथ उस शिकायत की एक प्रति संलग्न करना न भूलें जो पर्यवेक्षक अधिकारी को भेजी थी।

18 नियम 4, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 4, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

19 नियम 4(h), महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 4(h) महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

अगर पीसीए को लगता है कि शिकायत में मामला बनता है तो इसे आपको निःशुल्क लिखित आदेश भेजना चाहिए यह बताने के लिए कि वह जांच आरंभ करेगा। इसके बाद के कई अगले तत्काल कदम हैं:

- पीसीए उस पुलिस कर्मी (प्रतिवादी) के खिलाफ नोटिस जारी करेगा जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और उनको शिकायत और उसके समर्थन के दस्तावेज़ भी दिए जाएंगे।

↓

- प्रतिवादी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारी को भी नोटिस भेजी जाएगी।

↓

- प्रतिवादी के पास जवाब देने और उसके समर्थन में दस्तावेज़, यदि कोई है, 30 दिनों के भीतर जमा करने होंगे।

↓

- पीसीए सदस्य–सचिव (या नामित अधिकारी) प्रतिवादी के जवाब की एक प्रति उसके समर्थन में दिए गए दस्तावेज़ के साथ उसे प्राप्त करने के सात कार्य दिवस के भीतर आपको भेजेगा।

पीसीए जांच कैसे करता है?

जांच प्रक्रिया तीन चरणों में बांटी गई है:

1. जांच
2. सुनवाई
3. निर्णय

जांच कौन करेगा?

पीसीए जांच करने के लिए खुद अपना जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है, या जांच करने के लिए यह किसी अन्य जांच एजेंसी या अधिकारी से कह सकता है। स्वंय पीसीए के अपने या किसी अन्य जांच एजेंसी के जांच अफसर को उसकी जांच जितनी जल्दी संभव हो पूरी करनी है और 60 दिनों के अंदर पीसीए को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।[20]

क्या पीसीए न्यायालय है?

नहीं, लेकिन इसके द्वारा की गई कार्यवाही अदालत की तरह हो सकती है और इसके कुछ अधिकार अदालत के समान हैं। इसीलिए पीसीए ''अर्ध–न्यायिक'' निकाय हैं। मिसाल के तौर पर किसी शिकायत की जांच करते समय

20 नियम 7, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 7, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

पीसीए की शक्तियां नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908[21] के अंतर्गत दीवानी न्यायालय के समान हैं। यह शक्तियां है:[22]

- सुनवाई में भाग लेने के लिए गवाह को तलब करना और शपथपूर्वक गवाह का परीक्षण करना।
- किसी दस्तावेज़ की खोज और प्रस्तुति का आदेश देना
- प्रमाण शपथपत्र पर मांगना
- किसी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक रिकार्ड उपलब्ध कराने के लिए कहना
- गवाह या दस्तावेज़ों के परीक्षण के आयोग बनाना (गवाह या दस्तावेज़ के परीक्षण के लिए स्वतंत्र सदस्य नियुक्त कर सकता है)
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य मामला

उसका मतलब यह भी है कि अगर आप पीसीए को झूठा सबूत देते हैं या झूठी या तुच्छ शिकायत दर्ज करते हैं तो आपको जुर्माना अदा करने के लिए कहा जा सकता है या जेल भी हो सकती है (विवरण नीचे दिया गया है)

किन भाषाओं में पीसीए की प्रक्रियाएं चल सकती हैं?

पीसीए नियम कहते हैं कि ''सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए'' पीसीए की अधिकारिक भाषा मराठी है। इसका मतलब है कि प्रक्रिया मराठी में चलेगी लेकिन नियमों में इसका भी उल्लेख है कि ''शिकायतकर्ता की भाषा के अनुसार'' अपवाद का मामला किया जा सकता है।[23] अगर आप मराठी बोलते या समझते नहीं हैं तो पीसीए को पहले ही सूचित कर दें ताकि उचित व्यवस्था की जा सके।

पीसीए सुनवाई कैसे करते हैं?

अगर पीसीए निर्णय करता है कि सुनवाई किया जाना आवश्यक है तो उसके संचालन के लिए इन प्रक्रियाओं का पालन करेगा।[24]

- पीसीए को चाहिए कि सुनवाई की तारीख से कम से कम सात दिन पहले सुनवाई की तारीख के बारे में सभी सम्बंधित पक्षों को सूचित करे। यह प्रतिवादी/प्रतिवादियों के वरिष्ठ अधिकारी/अधिकारियों को भी नोटिस भेजेगा।

नोटः तात्कालिकता मामले में पीसीए सात दिनों से पहले नोटिस जारी कर सकता है।

- वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिवादी पुलिस अधिकारी को सुनवाई में हाजिर रहने की अनुमति दे।

21 धारा 22Q(4), महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन ऐव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

22 धारा 22Q(4), महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन ऐव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

23 नियम 2(1)(k), महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 2(1)(k), महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

24 नियम 8 और 9, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 8 और 9, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

- पीसीए सम्बंधित पक्षों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार समन जारी कर तलब कर सकता है।
- यह किसी पुलिस अधिकारी या लोक सेवक से मामले से सम्बंधित कोई दस्तावेज़ (जिसमें सार्वजनिक दस्तावेज़ शामिल हैं) या रिकार्ड मांग सकता है।

क्या मुझे हर सुनवाई पर उपस्थित रहना है?

शिकायत पक्षों का हर सुनवाई पर, बुलाए जाने की हालत में, उपस्थित रहना आवश्यक है।

क्या मैं सुनवाई के स्थगन की मांग कर सकता हूं?

हां,[25] आपको सुनवाई से तीन दिन पहले स्थगन के लिए कहना होगा। फिर भी पीसीए आपको तीन स्थगन से अधिक की अनुमति नहीं देगा। इसी प्रकार प्रतिवादी को भी केवल तीन स्थगन प्रदान किया जाएगा।

अगर प्रतिवादी पुलिस अधिकारी अनिवार्य अधिकारिक कर्तव्य या कार्य के कारण स्थगन का अनुरोध करता है तो सुनवाई अगले कार्य दिवस पर हो सकती है।

पीसीए तभी सुनवाई स्थगित करेगा जब अनुरोध करने वाले व्यक्ति द्वारा उचित कारण दर्शाया जाए। स्थगन की अनुमति देते या इनकार करते समय पीसीए अपने कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड करेगा।

क्या सुनवाई में कोई मेरा प्रतिनिधित्व कर सकता है?

किसी और का शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करना संभव है। आपको पीसीए से लिखित अनुमति लेनी होगी, आप अध्यक्ष को पहले ही अनुरोध पत्र दे सकते हैं।[26] प्रतिनिधि वकील या कोई अन्य भी हो सकता है जिसका चयन शिकायतकर्ता करता है।

नोटः पीसीए के नियम ''कानूनी प्रतिनिधित्व'' शब्द का प्रयोग करते हैं इसके बावजूद राज्य पीसीए ने शिकायतकर्ता को गैर वकील प्रतिनिधित्व की अनुमति दी है।

अगर मैं या मेरा प्रतिनिधि पीसीए द्वारा तय की गई सुनवाई की तारीख पर हाजिर नहीं हो सकते हैं तो क्या होगा?

अगर आप या आपका प्रतिनिधि सुनवाई पर हाज़िर नहीं होता है और आप ने स्थगन की मांग नहीं की तो आपकी अनुपस्थिति में कार्यवाही चलेगी।[27] अगर प्रतिवादी गैर हाज़िर है तब भी यही लागू होता है।

---

25 नियम 10, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 10, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

26 नियम 10, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 10, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

27 नियम 10(9), महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 10(9), महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

क्या सुनवाई में जनता का कोई भी सदस्य रह सकता है?

हां, लेकिन असाधारण हालतों में, और पीसीए द्वारा लिखित में कारण रिकार्ड किए जाने के कारण, कार्यवाही गुप्त ढंग से या कैमरे के सामने की जा सकती है।[28]

क्या पूरी जांच प्रक्रिया को समाप्त करने की कोई समय सीमा है?

हां,[29] शिकायत प्राप्त करने के 90 दिनों के अंदर पीसीए को अवश्य ही जांच पूरी कर के राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजनी चाहिए।

अगर पीसीए 90 दिनों से अधिक समय लेता है तो उसे राज्य सरकार के गृह विभाग को लिखित में विलम्ब के कारणों को बताना चाहिए।

क्या पीसीए कार्यवाही का रिकार्ड रखेगा?

हां, सदस्य–सचिव (या नामित अधिकारी) को **प्रत्येक दिन** की कार्यवाही या सुनवाई का केस रिकार्ड या प्रगति रिपोर्ट अवश्य रखनी चाहिए।[30]

निर्णय और अंतिम आदेश

पीसीए निर्णय कैसे लेता है?

पीसीए सभी सम्बंधित पक्षों की सभी रिपोर्टों, सबूतों और प्रस्तुत तर्कों का परीक्षण करता है। प्रत्येक पीसीए की कार्यवाही में कम से कम तीन सदस्यों को भाग लेना चाहिए इसमें अध्यक्ष को शामिल रहना है। इसे कोरम या पूर्ण पीठ कहा जाता है। कोई फैसला कोरम द्वारा लिया जाता है। सभी फैसले मौजूद सदस्यों और उनके वोट के बहुमत द्वारा लिये जाते हैं। मत भिन्नता को रिकार्ड पर रखा जाता है। अगर मत बराबर बराबर में बंटे हों तो अध्यक्ष दूसरा वोट देता है। पीसीए के किसी भी फैसले को पूर्ण रूप से तकनीकी आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता।[31]

जांच पूरी होने के बाद पीसीए किस तरह की सिफारिश कर सकता है?

अगर पीसीए की जांच उसमें शामिल पुलिस अधिकारी का दुर्व्यवहार या अपराध स्थापित करती है तो पीसीए सिफारिश कर सकता है:[32]

- प्रतिवादी/प्रतिवादियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आरंभ

28 नियम 12, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 12, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

29 नियम 10(4), महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 10(4), महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

30 नियम 10(3), महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 10(3), महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

31 नियम 5, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 5, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

32 धारा 22R और 22S महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन एंव निरंतरता) अधिनियम 2014।

- अगर इस बात के बुनियादी सबूत हैं कि दंडनीय अपराध कारित किया गया था तो प्रतिवादी/प्रतिवादियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का पंजीकरण

फैसले में क्या शामिल होगा?

पीसीए को अपना फैसला लिखित आदेश में देना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए:[33]

1. शिकायत में दिए गए आरोपों का सारांश
2. प्राधीकरण द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिवादी के उत्तर, रिपोर्ट और प्रस्तुत तर्कों का सारांश
3. पीसीए के निष्कर्ष

पीसीए अपने आदेश कैसे सुनाएगा?

पीसीए का अध्यक्ष या कोई सदस्य खुली कार्यवाही में बुलंद आवाज़ में उसके निष्कर्षों को पढ़गा। वे फैसले के कारगर भाग को पढ़ेंगे और राज्य की अधिकारिक भाषा में विस्तार से समझाएंगे। अगर आवश्यक हो तो आप पीसीए से हिंदी या अंग्रेज़ी में ऐसा करने को कह सकते हैं। (राज्य और मंडलीय पीसीए के नियम 2 (1) (k) के अनुरूप) सदस्य–सचिव (या नामित अधिकारी) अंतिम निर्णय को प्रमाणित करता है और तुरंत इसकी प्रतियां सभी पक्षों– शिकायतकर्ता या उनके प्रतिनिधि और उपस्थित किसी अन्य पक्ष को निःशुल्क देनी होती हैं।[34]

आदेश की प्रतियां और किसे प्राप्त होती हैं?

पीसीए अपने निष्कर्षों को राज्य सरकार, सम्बंधित अधिकारी/अधिकारियों और उनके वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारियों को भी भेजता है।[35]

अगर पक्ष झूठे सबूत देते हैं या जानबूझकर कार्यवाही को बाधित करते हैं तो क्या होता है?

अगर पीसीए के संज्ञान में आता है कि पक्षों में किसी ने झूठे सबूत प्रस्तुत किए है या कार्यवाही में बैठे लोक सेवकों के काम में बाधा पहुंचाई या इरादतन अपमानित किया तो यह[36]

- 200 रूपये तक दंड लगा सकता है।
- अगर दंड का भुगतान नहीं किया जाता है तो पीसीए भुगतान न करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को एक महीने की साधारण जेल की सज़ा दे सकता है, या
- अगर पीसीए ज़रूरी समझता है तो दंड और साधारण जेल की सज़ा के अलावा मामले को दंडाधिकारी को अग्रेसित कर सकता है।

33 नियम 11, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 11, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

34 नियम 11, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 11, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

35 नियम 11, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 11, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

36 धारा 22P और 22Q महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन एंव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

क्या पीसीए की सिफारिश अंतिम है?

नहीं, पीसीए निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है जो कार्यवाही शुरू करने के लिए अंतिम निर्णय लेती है[37]

पीसीए के आदेशों को लागू कौन करता है?

पीसीए का आदेश प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार निम्नलिखित में से कोई भी काम कर सकती है:[38]

1. रिपोर्ट को स्वीकार और इसे लागू करे, या
2. अनुशासनात्म कार्यवाही आरंभ करने के लिए इसे आरंभिक जांच माने। फिर राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकरण को (पुलिस विभाग) प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्म कार्यवाही शुरू करना चाहिए; या
3. अगर रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिवादी ने संज्ञेय अपराध (गंभीर अपराध) कारित किया है तो राज्य सरकार सम्बंधित पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट अग्रेसित कर देगी। फिर, जांच आरंभ करने के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है ; या
4. असाधारण मामलों में रिपोर्ट को खारिज कर सकती है परन्तु लिखित रूप में कारण बताना आवश्यक है।
5. जहां राज्य सरकार रिपोर्ट को खारिज करती है, यह पीसीए से आगे और जांच करने को और नई रिपोर्ट देने को भी कह सकती है।

अगर पीसीए में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होती है तो मैं क्या कर सकता हूं?

अगर कार्यवाही में एक पक्ष को लगता है कि उनकी निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई है तो वे हाईकोर्ट जा सकते हैं– इस मामले में मुम्बई हाईकोर्ट– और पीसीए के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ऐसा भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचितका के अधिकार का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट में किया जा सकता है।

जिन कारणों से आप हाईकोर्ट जा सकते हैं उनमें से कुछ हैं:

- अगर पीसीए का कोई सदस्य पक्षपाती था और मामले के नतीजे में उसका निजी हित था;
- अगर किसी पक्ष को उस पर लगाए गए आरोपों की सूचना नहीं दी गई थी;
- पीसीए ने पक्षों में से किसी को ढंग से नहीं सुना
- अगर पीसीए ने अपने फैसले में पर्याप्त तर्क नहीं दिए

अगर आप पीसीए के फैसले से खुश नहीं हैं तो आपके पास और कौन से तरीके हैं?

अगर आपकी शिकायत दंडात्मक अपराध की श्रेणी में आती है तो आप पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते

37 धारा 22R महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन एंव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

38 धारा 22R महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन एंव निरंतरता) अधिनियम, 2014।

हैं और एफआईआर दर्ज करने के लिए कह सकते हैं। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भेजें। एसपी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है।

अगर एफआईआर अब भी नहीं लिखी जाती है तो निकटतम न्यायिक दंडाधिकारी के पास जाएं। न्यायिक दंडाधिकारी पुलिस को मामला दर्ज करने और तफतीश करने के लिए निर्देशित कर सकता है[39]। फिर यह मामला एफआईआर में बदल जाता है।

अगर यह सभी तरीके नाकाम हो जाते हैं तो आप हाईकोर्ट में भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। इस याचिका में आप हाईकोर्ट से पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित करने को कह सकते हैं।

इसी बीच,, अगर आपके मामले में लागू होता है तो आप निम्न में किसी से भी अनुरोध कर सकते हैं:

- राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग
- राष्ट्रीय या राज्य महिला आयोग
- राष्ट्रीय या राज्य अनूसूचित जाति आयोग
- राष्ट्रीय या राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग और/या
- राष्ट्रीय या राज्य अल्पसंख्यक आयोग।

क्या पीसीए शिकायतकताओं के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है?

अगर पीसीए की जांच में लगता है कि आप ने शिकायत ''असद्भाव'' से (तुच्छ, झूठी, द्वेशपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण या गलत उद्देश्य से) दर्ज कराई है तो यह आपके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस (संशोधित एंव निरंतरता) अधिनियम के अनुच्छेद 22टी के अंतर्गत कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है।

इस प्रावधान के अंतर्गत शिकायतकर्ता पर अभियोग चलाया जा सकता है और *पुलिस अधिकारी के खिलाफ झूठी या तुच्छ शिकायत* दर्ज कराने के लिए दंडित किया जा सकता है। दंड हैं:

पुलिस के खिलाफ शिकायत के प्रकार	शिकायतकर्ता को दी जाने वाली सज़ा की मात्रा
महाराष्ट्रा पुलिस अधिनियम के अध्याय XXIV के तहत आने वाले अपराध	दो साल का साधारण या सश्रम कारावास या जुर्माना या दोनों
जिन अपराधों में मृत्युदंड/अजीनवन कारावास/सात साल या उससे अधिक के कारावास की सज़ा का प्रावधान है	सात साल के साधारण या सश्रम कारावास की सज़ा और जुर्माना

शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठी या तुच्छ शिकायत दर्ज कराने के अपराध का संज्ञान लेते हुए अपराध प्रकिया संहिता, 1973 का धारा 195 लागू होगा। अगर शिकायतकर्ता को अपराध के लिए दोषी करार दिया जाता है तो उसे प्रतिवादी को जुर्माना अदा करना होगा।

39 अपराध दंड संहिता 1973 धारा 156(3) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अनुसार।

इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिकायतें स्पष्ट लिखी जाएं और उसमें सभी ज्ञात और उपलब्ध सूचनाएं शामिल हों।

परदर्शिता और रिपोर्टिंग

पीसीए पारदर्शिता कैसे बनाए रखता है?

पीसीए को स्वतंत्र और जवाबदेह निकाय होना चाहिए जिसे लोग अच्छी तरह जानते हों और समाज के सभी वर्गों के लिए पूरी तरह सुलभ हो। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक पीसीए अपनी मौजूदगी, शक्तियों और अपने काम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक कदम उठाए। नियम के अनुसार राज्य और मंडल स्तर के पीसीए खुद अपनी वेबसाइट बनाएं और मुकदमों व फैसलों को प्रकाशित करने के लिए उनका प्रयोग करें, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक/सोशल मीडिया पर वार्षिक रिपोर्ट, पुस्तिका/गाइड प्रकाशित करने के लिए मज़बूत मौजूदगी हो। अधिकतम पहुंच बनाने के लिए इन सभी दस्तावेज़ों को मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी में प्रकाशित और प्रसारित किया जाना चाहिए।

✓ सुनवाइयों/बैठकों का लिखित ब्योरा

सदस्य–सचिव या नामित व्यक्ति को पीसीए की बैठकों के लिखित ब्यूरों का रिकार्ड रखना चाहिए। पीसीए की बैठकों के लिखित ब्यूरों पर अध्यक्ष और सदस्यों[40] द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। बेहतर होगा कि प्रत्येक बैठक का ब्यूरो पीसीए की वेबसाइट पर डाला जाए।

✓ अधिकारिक वेबसाइट[41]

हर एक पीसीए की अपनी अधिकारिक भाषा या अंग्रेज़ी में कामकाजी इंटरनेट वेबसाइट होनी चाहिए (सुझाव दिया जाता है कि वेबसाइट बहुभाषीय हों)। इसमें उन मामलों की जानकारीं शामिल होनी चाहिए जिसकी दैनिक, साप्ताहिक या मासिक सुनवाई पीसीए करेगा। पीसीए के सभी फैसलों को अविलम्ब नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

मार्च 2019 तक महाराष्ट्र में किसी पीसीए के पास काम काजी वेबसाइट नहीं थी।

✓ पुस्तिका/गाइड[42]

पीसीए के गठन के छः महीने के भीतर सदस्य–सचिव या नामित अधिकारी को निम्नलिखित की व्यापक जानकारी देते हुए पुस्तिका/गाइड प्रकाशित करनी चाहिएः

1. इनके सम्पर्क का विवरण

40 नियम 5, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 5, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

41 नियम 12, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 12, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

42 नियम 12, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 12, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

2. प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य
3. शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया
4. शिकायतें प्राप्त करने/निस्तारण करने के लिए निर्धारित फार्म; और
5. शिकायतकर्ता को अधिनियम और कानून के अंतर्गत उपलब्ध उपचार

पीसीए को इन पुस्तिकाओं/गाइड को सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस विभाग की ऑफिसों में भेजना चाहिए और उनका वहां रखा जाना सुनिश्चत करना चाहिए। इन्हें निःशुल्क वितरित करना चाहिए।

✓ वार्षिक रिपोर्ट[43]

पीसीए को वित्तीय वर्ष के अंत में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और इसे राज्य सरकार को सौंपना चाहिए। उनकी वार्षिक रिपोर्ट पीसीए की वेबसाइट और सम्बंधित सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध होनी चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट में निम्न विवरण अवश्य दिए जाने चाहिएः

1. पीसीए द्वारा जांच की गई शिकायतों की संख्या और उनके प्रकार;
2. पीसीए द्वारा जांच किए गए कदाचार के मामलों की संख्या और उनके प्रकार;
3. जांच के लिए किसी अन्य एजेंसी या अधिकारी को सौंपे गए मामलों की संख्या और उनके प्रकार;
4. प्रत्येक मामले में पीसीए के निष्कर्ष;
5. विलम्ब की सीमा और जांच पूरी करने में ऐसे विलम्ब के कारण;
6. राज्य में पुलिस कदाचार के पहचान योग्य तरीके; और
7. पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए की गई सिफारिशें।

✓ प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में सक्रिय मौजूदगी

पीसीए के सदस्य–सचिव या नामित अधिकारी को पीसीए के बारे में बुनियादी जानकारी और इसकी प्रक्रिया को प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित करना चाहिए। सुझाव दिया जाता है कि वे ट्वीटर और फेसबुक पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं और उनका इस्तेमाल अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए करें।

43 नियम 13, महाराष्ट्र मंडलीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2017; नियम 13, महाराष्ट्र राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2016।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत खुलासा

सार्वजनिक प्राधिकरणों की तरह से पीसीए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सभी कर्तव्यों और दायित्वों से बंधे हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा (4)(1)(b) के अंतर्गत, बिना किसी के मांगे हुए निम्न प्रकार की सूचना को बाहर सार्वजनिक क्षेत्र में लाना इसमें शामिल है:

1) प्रत्येक पीसीए का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसके कार्य, इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य, निर्णय लेने में अपनाए जाने वाले तरीके, पर्यवेक्षण और जवाबदेही के माध्यम, मानदंड, नियम और कानून, अपने कार्य के निर्वाह में उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले निर्देश और नियमावली;

2) पीसीए द्वारा रखे गए सभी तरह रिकार्ड और दस्तावेज़ों की भौतिक प्रति और इलेक्ट्रानिक रूप के विवरण;

3) सार्वजनिक परामर्श या सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए बोर्ड, समितियों, परिषदों की सूची यह दर्शाते हुए कि उनकी बैठकों का लिखित ब्योरा जनता के लिए उपलब्ध होंगे;

4) अधिकारियों और कर्मचारियों की डायरेक्ट्री जिसमें वेतन और उनको प्राप्त लाभ शामिल हों;

5) पीसीए के बजट और व्यय का विवरण जिसमें फंड के भुगतान पर रिपोर्ट शामिल हो;

6) पीसीए में नामित लोक सूचना अधिकारियों के नाम और पदनाम

यह जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जानी चाहिए– किसी भी हालत में कम से कम वार्षिक। इसे क्षेत्रीय भाषा में इंटरनेट वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, समाचार पत्र विज्ञापनों, सार्वजनिक घोषणाओं और मीडिया प्रसारण जैसे कई प्रकार के माध्यमों से प्रसारित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, पीसीए का दायित्व है कि दो परिस्थितियों में वह नियमित जानकारी दें। धारा 4(1)(c) अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण नीति बनाते हुए या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णय की घोषणा करते हुए सभी सम्बंधित तथ्यों को प्रकाशित करना आवश्यक है[44]। आगे धारा 4(1)(d) प्रभावित व्यक्तियों के लिए अपने किसी प्रशासनिक या अर्ध–न्यायिक फैसलों हेतु उन्हें तर्क देने के लिए बाध्य करती है[45]

44 प्रत्येक लोक प्राधिकरणः (c) ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां बनाते हुए या निर्णय सुनाते हुए जिनका प्रभाव जनता पड़ता है उसे प्रकाशित करेगा।

45 प्रत्येक लोक प्राधिकरणः (d) प्रभावित व्यक्ति को अपने प्रशासनिक या अर्ध–न्यायिक फैसलों के लिए तर्क देगा।

अनुबंध

अनुबंध - I

प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ[46] और अन्य मामले में पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना करने सम्बंधी दिशानिर्देश

पुलिस उपाधीक्षक स्तर तक के पुलिस अधिकारियों की शिकायतों देखने के लिए जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण होगा। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को देखने के लिए राज्य स्तर पर एक अन्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण होना चाहिए। जिला स्तर के प्राधिकरण की अध्यक्षता हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज कर सकते हैं। राज्य स्तर के प्राधिकरण के प्रमुख का चयन मुख्य न्यायधीश द्वारा प्रस्तावित पैनल के नामों से किया जाएगा; जिला स्तर के शिकायत प्राधिकरण के प्रमुख का चुनाव भी मुख्य न्यायधीश या उनके द्वारा नामित हाईकोर्ट के जज के पैनल के नामों से किया जाएगा। अलग अलग राज्यों/जिलों में शिकायत की मात्रा के आधार पर इन प्राधिकरणों को तीन से पांच सदस्यों की सहायता प्रदान की जा सकती है और उनका चुनाव राज्य मानवाधिकार आयोग/लोकायुक्त /राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार पैनल से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पैनल में सेवानिवृत्त जन सेवकों, पुलिस अधिकारियों या अन्य किसी विभाग के अधिकारियों या नागरिक समाज के सदस्यों के नाम शामिल हो सकते हैं। वे प्राधिकरण के लिए पूरे समय काम करेंगे और क्षेत्र में जांच काम करने हेतु नियमित कर्मचारियों की सेवा के लिए उन्हें उचित मेहनताना अदा करना होगा। इस उद्देश्य के लिए वे सीआईडी, खुफिया, सतर्कता या किसी अन्य संगठन के सेवानिवृत्त जांचकार्ताओं की सेवाएं ले सकते हैं। राज्य स्तरीय शिकायत प्राधिकरण केवल पुलिस सहलकारों द्वारा किए गए गंभीर दुराचार के आरोपों का संज्ञान लेगा जिसमें केवल वह घटनाएं शामिल होंगी जिनमें मौत, गंभीर चोट या पुलिस हिरासत में बलात्कार हुआ हो। जिला स्तरीय प्राधिकारण उपर्युक्त मामलों के अलावा उन मामलों की भी जांच कर सकता है जिनमें जबरन वसूली, जमीन/मकान पर कब्जा या कोई घटना जिसमें प्राधिकरण का गंभीर दुरूपयोग शामिल हो। जिला और राज्य दोनों स्तरों पर शिकायत प्राधिकरण द्वारा दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ की गई किसी तरह की कार्यवाही की संस्तुति सम्बंधित प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी होगी।

46 प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 8 एससीसी 1; याचिका (सी) संख्या 1996 का 310।

अनुबंध - II पुलिस पदों के स्वरूप

महाराष्ट्र पुलिस की पद संरचना और न्यायाधिकार

पद	दायित्व	उपयुक्त पीसीए
भारतीय पुलिस सेवा		
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी)	प्रदेश पुलिस का प्रमुख	राज्य पीसीए
प्रदेश पुलिस का प्रमुख	विभागों का प्रमुख	
पुलिस महानिरीक्षक (IGP)/ विशेष पुलिस महानिरीक्षक	मंडल (क्षेत्रों का समूह)	
उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG)	अंचल (जनपदों का समूह)	
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP)	बड़े जनपद	
पुलिस अधीक्षक (SP)	जनपद	
अपर पुलिस अधीक्षक (ASP)		
राज्य पुलिस सेवा		
पुलिस उपाधीक्षक (DSP)/SDPO	उप खंड	राज्य पीसीए
क्षेत्र निरीक्षक		
प्रवर अधीनस्थ (राज्य पुलिस सेवा)		
क्षेत्राधिकारी	पुलिस सर्किल	मंडल पीसीए
पुलिस निरीक्षक (PI)	पुलिस स्टेशन (स्टेशन हाउस ऑफिसर)	
सहायक पुलिस निरीक्षक (API)	पुलिस स्टेशन कर्मचारी	
उप पुलिस निरीक्षक (SI)		
सहायक उप पुलिस निरीक्षक (ASI)		
अवर अधीनस्थ (राज्य पुलिस सेवा)		
हेड कांस्टेबल (HC)	पुलिस स्टेशन	पुलिस स्टेशन
पुलिस नायक (PN)		
पुलिस कांस्टेबल (PC)		

पुलिस कमिश्नरी महाराष्ट्र में पद संरचना

पद	दायित्व	उपयुक्त पीसीए
भारतीय पुलिस सेवा		
पुलिस आयुक्त (CP)	महानगर प्रमुख	राज्य पीसीए
संयुक्त पुलिस आयुक्त (Jt.CP)	ब्रांच	
अतरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP)	मंडल (क्षेत्रों का समूह)	
उप पुलिस आयुक्त (चयन श्रेणी) (DCP) उप पुलिस आयुक्त (कनिष्ठ प्रबंध श्रेणी) (DCP) उप पुलिस आयुक्त (10 साल से कम की सेवा अवधि) (DCP)	मंडल/ब्रांच	
राज्य पुलिस सेवा		
असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर	मंडल (नगर स्तर)	राज्य पीसीए
प्रवर अधीनस्थ (राज्य पुलिस सेवा)		
पुलिस निरीक्षक	पुलिस स्टेशन (स्टेशन हाउस ऑफिसर)	मंडल पीसीए
सहायक पुलिस निरीक्षक (API)	पुलिस स्टेशन	
उप पुलिस निरीक्षक (SI)		
सहायक उप पुलिस निरीक्षक (ASI)		
अवर अधीनस्थ (राज्य पुलिस सेवा)		
हेड कांस्टेबल (HC)	पुलिस स्टेशन कर्मचारी	मंडल पीसीए
पुलिस नायक (PN)		
पुलिस कांस्टेबल (PC)		

मार्च 2019 तक महाराष्ट्र में 10 पुलिस कमिष्नरियां हैं। यह हैं: अमरावती, औरंगाबाद, मुम्बई, नागपुर, नासिक, नवी मुम्बई, पुणे, मुम्बई देहात, थाणे, शोलापुर।[47]

47 1 जनवरी 2017 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एंड डी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 31।

अनुबंध - III

राज्य/मंडल स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए नमूना शिकायत फार्म

सेवा में:
अध्यक्ष
मंडलीय/राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण
(डाक का पता)

पीड़ित का विवरण:

- पीड़िता का पूरा नाम
- पिता/माता/पति–पत्नी का नाम
- पता
- लिंग:
  - o पुरूष
  - o महिला
  - o तीसरा जेंडर
- व्यवसाय
- फोन नम्बर
- ईमेल आईडी:

शिकायतकर्ता का विवरण:

- शिकायतकर्ता का पूरा नाम
- पिता/माता/पति–पत्नी का नाम
- पता
- लिंग
  - o पुरूष
  - o महिला
  - o तीसरा जेंडर
- व्यवसाय
- फोन नम्बर
- ईमेल आईडी:

पुलिस अधिकारी का विवरण:

पुलिस अधिकारी/अधिकारियों के नाम:

पुलिस अधिकारी का पद (कृपया सम्बंधित पद के सामने ✓ का निशान लगाएं)

1	पुलिस महानिदेशक	
2	अतरिक्त पुलिस महानिदेशक	
3	पुलिस महानिरीक्षक	
4	विशेष पुलिस महानिरीक्षक	
5	पुलिस उपमहानिरीक्षक	
6	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	
7	पुलिस अधीक्षक	
8	पुलिस आयुक्त	
9	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	
10	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	
11	पुलिस अधीक्षक	
12	पुलिस आयुक्त	
13	सहायक पुलिस अधीक्षक	
14	सहायक पुलिस आयुक्त	
15	इंस्पेक्टर	
16	सहायक पुलिस इंस्पेक्टर	
17	सहायक निरीक्षक	
18	सहायक उपनिरीक्षक	
19	हैड कांस्टेबल	
20	पुलिस नाइक	
21	कॉंस्टबल	

घटनाः

घटना की तारीखः

घटना स्थलः

पुलिस स्टेशन का नाम और जगह जहां घटना घटित हुईः

दुराचार के प्रकारः (कृपया सही जगह पर ✓ का निशान लगाएं)

1	पुलिस हिरासत में मौत	
2	*कष्टदायक चोट (कृपया नमूना शिकायत फार्म के बाद में विवरण देखें)*	
3	पुलिस हिरासत में बलात्कार या बलात्कार का प्रयास	
4	निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिरफ्तारी या नज़रबंदी	
5	भ्रष्टाचार	
6	जबरन वसूली	
7	ज़मीन या मकान पर कब्ज़ा	
8	कोई अन्य मामला जिसमें कानून का गंभीर उल्लंघन या कानूनी प्राधिकरण का दुरूपयोग किया गया हो	

घटना का संक्षिप्त विवरण (तारीख और समय के साथ):

यदि चोट हो तो उसका संक्षिप्त विवरण:

यदि सम्पत्ति की क्षति हुई हो तो उसका संक्षिप्त विवरण:

घटना के बाद आप ने जो कदम उठाया:

वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारी को दर्ज कराई गई शिकायत का संक्षिप्त विवरण:

गवाहों के विवरण, यदि कोई हों:

- गवाह का पूरा नाम:
- पिता/माता/पति–पत्नी का नाम:
- पता
- लिंग
  - o पुरूष
  - o महिला
  - o तीसरा जेंडर
- व्यवसाय
- फोन नम्बर
- ईमेल आईडी:

संलग्नक:

- डाक्टर की रिपोर्ट की छायाप्रति, यदि कोई हो
- किसी दर्ज शिकायत की छायाप्रति, यदि कोई हो
- प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति, यदि कोई हो
- चोट/क्षति का फोटो
- घटना से सम्बंधित आडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग
- गिरफ्तारी के ज्ञापन की छायाप्रति
- पुलिस स्टेशन पर डायरी प्रविष्ट का सबूत
- जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की जा रही है उसके पर्यवेक्षक अधिकारी को भेजी गई शिकायत की प्रति
- समर्थन का कोई और दस्तावेज़

मैं वचन देता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरे जानकारी के मुताबिक सच्ची और पक्की है।

हस्ताक्षरः

तारीखः

कष्टदायक चोट/घोर उपहति का विवरणः

- यदि आप अपनी किसी एक आंख से कभी नहीं देख पाएंगे
- यदि आप अपने किसी एक कान से कभी नहीं सुन पाएंगे
- यदि आप ने अपने शरीर का कोई अंग खो दिया है
- यदि आप अपने शरीर के किसी अंग के उपयोग से वंचित हो गए हैं
- यदि आपका सिर या चेहरा हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो गया है
- यदि आपकी हड्डी या दांत टूट गया है
- यदि आपको कोई ऐसी चोट है जो आपका जीवन समाप्त कर सकती है
- यदि आपको कोई ऐसी चोट है जिसकी वजह से आपको 20 दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ता है और वह आपको अपने दैनिक कार्य से रोकती है

अनुबंध - IV

स्वप्रमाणित घोषणा

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ————————————————————————————————

पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ———————————————————————————————

आयु ———— वर्ष स्थाई और वर्तमान पता नीचे दिया गया है, आधार नम्बर ———— (स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न) ईश्वर की शपथ लेता हूं और निम्नलिखित घोषणा करता हूं कि:

1. मैं संलग्न शिकायत का शिकायतकर्ता हूं/ श्री/श्रीमती/सुश्री ———————————————— को संलग्न शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिकृत करता/करती हूं क्योंकि ——————————————————————————————————— कारण से मैं इसे स्वंय दर्ज करा पाने में असमर्थ हूं।
2. संलग्न शिकायत के वाक्यखंडों ——————————— में बयान किए गए तथ्य मेरे ज्ञान और जानकारी के अनुसार सही हैं और वाक्यखंडों —————————— में मेरी जानकारी और विश्वास में सच्ची है।
3. इसलिए मैं आप से अनुरोध करता/करती हूं कि उपरोक्त शिकायत की जांच की जाए और उचित कार्यवाही की जाए।

बयान देने वाला:

नाम:

स्थाई पता:

अनुबंध - V

कियाशील पीसीए के पते

महाराष्ट्र राज्य पीसीए
कूपरेज टेलीफोन एक्सचेंज, चौथा तल,
महाऋषि कारवे रोड,
नैरिमन प्वाइंट,
मुम्बई,
महाराष्ट्रा 400021
टेलीफोन नम्बरः 022–22820045 /22820046 /22820067
ईमेल पता – mahaspca@gmail.com

पुणे मंडल पीसीए
अनंत हाइट्स, सर्वे नम्बर– 29/2/1
जाधवनगर निकट नांदेड़ सिटी
षिवागड़ रोड, पुणे– 4110068
टेलीफोन नम्बरः 020724380074
ईमेल पता– dpcapune@gmail.com

सीएचआरआई के कार्यक्रम

सीएचआरआई का मानना है कि राष्ट्रमंडल और इसके सदस्य देशों को जवाबदेही और भागीदारी के व्यवहारिक तौर तरीकों के उच्च मानक रखने चाहिए। मानवाधिकार, पारदर्शी लोकतंत्र और कायमी विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए यह अनिवार्य है। सीएचआरआई खास तौर से रणनीतिक पहल और मानवाधिकारों की वकालत, न्याय तक पहुंच और सूचना तक रिसाई पर काम करता है। यह शोध, प्रकाशनों, कार्यशालाओं, विश्लेषण, लामबंदी, प्रसार और वकालत के काम पर ध्यान केंद्रित करता है जो कि निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों को सूचित करता है:

1. इंसाफ तक पहुंच (ATJ)

पुलिस सुधार: बहुत से देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के बजाए राज्य के दमनकारी तंत्र के तौर पर देखा जाता है जिससे बड़े पैमाने पर अधिकारों का हनन होता है और न्याय से वंचित रखा जाता है। सीएचआरआई व्यवस्थित तरीके से सुधार को बढ़ावा देता है ताकि पुलिस शासन की मर्जी थोपने के बजाए कानून की हुकमरानी के समर्थक के बतौर काम करे। सीएचआरआई के कार्यक्रमों का उद्देश्य पुलिस सुधारों के लिए जनता को जागरूक करना और नागरिक समाज को इन मुद्दों से जोड़कर मज़बूती प्रदान करना है। पूर्वी अफ्रीका और घाना में सीएचआरआई पुलिस की जवाबदेही और राजनीतिक हस्तक्षेप के मामलों का परीक्षण करती है।

हम रंग, रूप और लिंग के आधार पर भेदभाव विरोधी एक विभाग को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

जेल सुधार: सीएचआरआई पारंपरिक रूप से जेलों में अपारदर्शी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और कुप्रथाओं से परदा उठाने का काम करता है। मुकदमों की अस्वीकार्य भीड़, सुनवाई की लम्बी अवधि तक नज़रबंदी और जेल में कैद रखने जैसी कानून व्यवस्था की असफलताओं को उजागर करने के अलावा हम कानूनी सहायता की वकालत करने और जेल निगरानी प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए नीति परिवर्तन में हस्तक्षेप करने का काम करते हैं। इन क्षेत्रों में खास ध्यान देना जेल के प्रषासन और न्याय की स्थिति में सुधार ला सकती है।

2. सूचना तक पहुंच

सीएचआरआई को सूचना तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले प्रमुख संगठन के बतौर जाना जाता है। यह देशों में प्रभावी सूचना के अधिकार कानून पारित करने और लागू करने को प्रोत्साहित करता है। कानून के विकास में यह नियमित रूप से सहायता करता है और सूचना के अधिकार कानून और उस पर अमल को बढ़ावा देने में भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बंगलादेश, घाना और हालिया दिनों में कीनिया जैसे देशों में खासतौर से कामयाब रहा है। घाना में सीएचआरआई सूचना अधिकार कानून और नागरिक समाज गठबंधन का सचिवालय है। हम नए कानून की नियमित समीक्षा करते हैं और सरकारों और नागरिक समाज दोनों के व्यवहार में बेहतरी लाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं, ऐसा हम कानून का मसौदा तैयार करते समय और पहली बार लागू किए जाते समय करते हैं। हमें विपरीत परिस्थितियों में काम करने और सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है; यह सूचना के अधिकार के नए कानून विकसित करने को इच्छुक देशों में बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि लाने में हमें सक्षम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर घाना में सूचना तक पहुंच और प्रभावी कानून को परिचित कराने के अभियान के महत्व से अवगत कराने को यह बढ़ावा देता रहा है।

दक्षिण एशिया मीडिया रक्षकों का नेटवर्क (SAMDEN)

सीएचआरआई ने दक्षिण एशिया में, खासकर ग्रमीण इलाकों में, 'मीडियाकर्मियों पर बढ़ते हुए हमलों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर दबाव' के मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए मीडिया पेशेवरों का एक क्षेत्रीय नेटवर्क

विकसित किया है। दक्षिण एशिया मीडिया रक्षकों के नेटवर्क (सैमडेन) का मानना है कि ऐसी स्वतंत्रता अविभाज्य है और वह कोई राजनीतिक सीमा नहीं जानती है। भेदभाव और धमकियों का अनुभव रखने वाले मीडिया पेशेवरों के एक खास समूह द्वारा नियंत्रित, सैमडेन, मीडिया पर दबाव को ध्यान में रखते हुए, मीडिया के काम करने की घटती हुई गुंजाइश और प्रेस की आज़ादी के मुद्दों पर, एक प्रभावी वेबसाइट मंच विकसित कर रहा है। यह मीडिया को लामबंद करने पर काम कर रहा है ताकि ताकत सहयोग और संख्या से पैदा हो। तालमेल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सैमडेन का सूचना के अधिकार आनदोलनों और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव है।

3. अंतर्राष्ट्रीय वकालत और कार्यरचना

सीएचआरआई राष्ट्रमंडल सदस्य राज्यों के साथ मानवाधिकार दायित्वों के अनुपालन की निगरानी करता है और जहां ऐसे दायित्वों का उल्लंघन होता है वहां मानवाधिकार की ज़रूरतों की वकालत करता है। सीएचआरआई, राष्ट्रमंडल, मंत्री स्तरीय कार्यवाही समूह, संयुक्त राष्ट्र और मानव एंव लोक अधिकार के अफ्रीकी आयोग जैसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर काम करता है। चालू रणनीतिक पहलकदमियों में राष्ट्रमंडल के सुधार की वकालत और निगरानी करना, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में राष्ट्रमंडल सदस्यों द्वारा समीक्षा करने के वादे की समीक्षा करना और समय समय पर सारभौमिक समीक्षा शामिल है। हम मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा और नागरिक समाज के लिए अवसरों की वकालत करते हैं और (राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को) ताकतवर बनाने का दबाव बनाते हुए राष्ट्रमंडल में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की कारगुज़ारियों की निगरानी करते हैं।

CHRI

Commonwealth Human Rights Initiative

working for the *practical* realisation of human rights in the Commonwealth

55A, Third Floor, Siddhartha Chambers - I,
Kalu Sarai, New Delhi 110 016, India
Tel: +91 11 4318 0200 Fax: +91 11 4318 0217
E-mail: info@humanrightsinitiative.org
Website: www.humanrightsinitiative.org
Twitter: @CHRI_INT